

विदेश मंत्रालय
मांग संख्या 29
विदेश मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	27036.28	10159.76	37196.04	20479.50	6058.58	26538.08	23602.03	6058.58	29660.61	19519.74	996.88	20516.62
<i>वसूलियां</i>	-88.41	-8193.12	-8281.53	-0.01	-4383.40	-4383.41	-0.01	-4383.40	-4383.41	-0.01	...	-0.01
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	26947.87	1966.64	28914.51	20479.49	1675.18	22154.67	23602.02	1675.18	25277.20	19519.73	996.88	20516.61
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	1339.64	...	1339.64	789.68	...	789.68	750.72	...	750.72	676.44	...	676.44
2. दूतावास एवं मिशन	3759.99	...	3759.99	3867.64	...	3867.64	3969.19	...	3969.19	4206.22	...	4206.22
3. पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन	1724.66	...	1724.66	970.65	...	970.65	1907.24	...	1907.24	1913.47	...	1913.47
4. विदेश में महिला कल्याण योजना												
4.01 वन स्टॉप सेंटर (निर्भया फंड से वित्तपोषित)	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4.02 निर्भया फंड से पूरी की गई राशि	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>
5. मंत्रालय के अन्य व्यय	90.30	354.95	445.25	127.79	685.48	813.27	123.86	805.48	929.34	134.40	621.88	756.28
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	6914.59	354.95	7269.54	5755.76	685.48	6441.24	6751.01	805.48	7556.49	6930.53	621.88	7552.41
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
राष्ट्रों को सहायता												
6. भूटान	720.03	1611.99	2332.02	1078.86	989.70	2068.56	1673.78	869.70	2543.48	1775.00	375.00	2150.00
7. अफगानिस्तान	207.26	...	207.26	200.00	...	200.00	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
8. बांग्लादेश	157.63	...	157.63	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00
9. नेपाल	657.38	...	657.38	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00
10. श्रीलंका	119.37	...	119.37	245.00	...	245.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
11. मालदीव	832.83	...	832.83	400.00	...	400.00	470.00	...	470.00	600.00	...	600.00
12. म्यांमार	352.96	...	352.96	250.00	...	250.00	400.00	...	400.00	350.00	...	350.00
13. मंगोलिया	3.45	...	3.45	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
14. अफ्रीकी देश	184.76	...	184.76	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	225.00	...	225.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. यूरेशियाई देश	28.75	...	28.75	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
16. लैटिन अमरीकी देश	51.13	...	51.13	30.00	...	30.00	90.00	...	90.00	60.00	...	60.00
17. अन्य विकासशील देश	112.85	...	112.85	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	150.00	...	150.00
18. आपदा राहत	41.18	...	41.18	10.00	...	10.00	60.00	...	60.00	64.00	...	64.00
19. चाबहार पत्तन	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
20. मॉरीशस	358.87	...	358.87	370.00	...	370.00	576.00	...	576.00	500.00	...	500.00
21. मेशेल्स	6.18	...	6.18	40.00	...	40.00	37.00	...	37.00	19.00	...	19.00
जोड़-राष्ट्रों को सहायता	3934.63	1611.99	5546.62	3893.86	989.70	4883.56	4936.78	869.70	5806.48	5108.00	375.00	5483.00
22. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों को सहायता	1131.89	...	1131.89	769.00	...	769.00	1260.53	...	1260.53	1247.00	...	1247.00
23. सांस्कृतिक और विरासत परियोजना हेतु सहायता	7.98	...	7.98	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	5074.50	1611.99	6686.49	4677.86	989.70	5667.56	6212.31	869.70	7082.01	6375.00	375.00	6750.00
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
24. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)	298.24	...	298.24	331.25	...	331.25	331.25	...	331.25	351.25	...	351.25
25. अन्य स्वायत्त निकायों को सहायता	32.65	...	32.65	38.60	...	38.60	37.44	...	37.44	42.93	...	42.93
जोड़-स्वायत्त निकाय	330.89	...	330.89	369.85	...	369.85	368.69	...	368.69	394.18	...	394.18
अन्य												
26. विशेष राजनयिक व्यय	4738.75	...	4738.75	4659.01	...	4659.01	4900.01	...	4900.01	4900.00	...	4900.00
27. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	499.91	...	499.91	282.12	...	282.12	617.12	...	617.12	481.28	...	481.28
28. नालंदा विश्वविद्यालय	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00
29. दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय	123.00	...	123.00	100.00	...	100.00	120.00	...	120.00	170.00	...	170.00
30. सीमाओं का सीमांकन	1.73	...	1.73	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
31. प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन	14.39	...	14.39	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
32. विदेशी तीर्थयात्राओं से संबंधित व्यय	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
33. विनिमय द्वारा हानि	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
34. प्रशिक्षण	24.80	...	24.80	27.48	...	27.48	25.47	...	25.47	24.72	...	24.72
35. वास्तविक बसूलियां	-88.41	-0.30	-88.71
36. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण												
36.01 संदेहास्पद ऋणों के प्रति ली गई गारंटियों के लिए एक्जिम बैंक को भुगतान	...	8192.82	8192.82	...	4383.40	4383.40	...	4383.40	4383.40
36.02 गारंटी मोचन निधि से प्राप्त बसूलियां घटाएं	...	-8192.82	-8192.82	...	-4383.40	-4383.40	...	-4383.40	-4383.40
<i>निवल</i>
37. आरक्षित निधि में अंतरण - गारंटी मोचन निधि	9013.72	...	9013.72	4383.40	...	4383.40	4383.40	...	4383.40	0.01	...	0.01
जोड़-अन्य	14627.89	-0.30	14627.59	9676.02	...	9676.02	10270.01	...	10270.01	5820.02	...	5820.02
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	14958.78	-0.30	14958.48	10045.87	...	10045.87	10638.70	...	10638.70	6214.20	...	6214.20

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	26947.87	1966.64	28914.51	20479.49	1675.18	22154.67	23602.02	1675.18	25277.20	19519.73	996.88	20516.61
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1339.44	...	1339.44	789.68	...	789.68	750.72	...	750.72	676.44	...	676.44
2. विदेशी मामले	11586.41	...	11586.41	10628.54	...	10628.54	12255.58	...	12255.58	12468.27	...	12468.27
3. विविध सामान्य सेवाएं	9013.72	...	9013.72	4383.41	...	4383.41	4383.41	...	4383.41	0.02	...	0.02
4. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	161.40	161.40	...	324.00	324.00	...	382.49	382.49	...	275.00	275.00
5. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	59.79	59.79	...	89.67	89.67	...	89.50	89.50	...	99.27	99.27
6. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	11.72	11.72	...	21.81	21.81	...	15.09	15.09	...	17.61	17.61
जोड़-सामान्य सेवाएं	21939.57	232.91	22172.48	15801.63	435.48	16237.11	17389.71	487.08	17876.79	13144.73	391.88	13536.61
सामाजिक सेवाएं												
7. आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	...	121.74	121.74	...	250.00	250.00	...	318.40	318.40	...	230.00	230.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	121.74	121.74	...	250.00	250.00	...	318.40	318.40	...	230.00	230.00
आर्थिक सेवाएं												
8. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण
जोड़-आर्थिक सेवाएं
अन्य												
9. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	5008.30	...	5008.30	4677.86	...	4677.86	6212.31	...	6212.31	6375.00	...	6375.00
10. विदेशी सरकारों को अग्रिम	...	1611.99	1611.99	...	989.70	989.70	...	869.70	869.70	...	375.00	375.00
जोड़-अन्य	5008.30	1611.99	6620.29	4677.86	989.70	5667.56	6212.31	869.70	7082.01	6375.00	375.00	6750.00
कुल जोड़	26947.87	1966.64	28914.51	20479.49	1675.18	22154.67	23602.02	1675.18	25277.20	19519.73	996.88	20516.61

1. **सचिवालय:** इसमें विदेश मंत्रालय के सचिवालय, मुख्यालयों में लोक राजनय, स्टेट सुविधा एवं जानकारी सहायता, छात्रावास और आवासीय परिसर के संबंध में व्यय का प्रावधान है।

2. **दूतावास एवं मिशन:** यह विदेशों में मिशनों, पदों पर भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए व्यय की व्यवस्था करता है।

3. **पासपोर्ट एवं उत्प्रवासन:** यह पासपोर्ट कार्यालयों, यात्रा दस्तावेजों की छपाई, पासपोर्ट आवेदनों और फाइलों की स्कैनिंग, पासपोर्ट प्रिंटर्स का पट्टा (लीज), पासपोर्ट प्रिंटर्स की खरीद, पासपोर्ट कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन, उत्प्रवासियों के महासंरक्षक के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान, भारत को जानिए कार्यक्रम, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

4. **विदेश में महिला कल्याण योजना:** विदेश में समस्या का सामना कर रही महिलाओं को निर्भया निधि से वित्तीय/चिकित्सा/कानूनी सहायता प्रदान करना।

5. **मंत्रालय के अन्य व्यय:** यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, गण्यमान्य व्यक्तियों के मनोरंजन, कलाकृतियों की खरीद, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने, युद्ध/सिविल उपद्रव के कारण भारतीयों को निकालने, विदेशों में उच्च स्तरीय दोरों, लोक निर्माण कार्य एवं आवासन के संबंध में पूंजीगत परिव्यय, स्वर्णप्रवास योजना इत्यादि के संबंध में व्यय की व्यवस्था करता है।

6 - 23. देशों को सहायता, अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहायता: यह प्रावधान पड़ोसी देशों और अन्य विकासशील देशों को भारत की बहुआयामी एवं द्विपक्षीय सहायता और सहायता कार्यक्रमों के लिए है। यह सहायता भारत की सीमाओं से लगे देशों और अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमरीकी देशों को भी मुहैया कराई जाती है। इसके अंतर्गत आपदा राहत और लोकोपकारी सहायता के लिए भी व्यय की व्यवस्था की जाती है। इस प्रावधान में भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता भी शामिल है।

24 और 25. स्वायत्त निकाय: इसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान, सूचना प्रणाली सोसायटी (आरआईएस) एवं भारत प्रवास केंद्र के लिए वेतन अनुदान मांगों और सामान्य अनुदान मांगों के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है।

26-34. अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय (अन्य): इसके अंतर्गत विवेकाधीन व्यय, राष्ट्रमंडल सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क सचिवालय, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय और नालन्दा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है। यह अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा के लिए एयर इंडिया के विमान की रख-रखाव लागत, सीमाओं के सीमांकन के लिए भी व्यय की व्यवस्था करता है। इसमें प्रवासी भारतीय दिवस, कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय विधि सोसायटी, चीनी अध्ययन संस्थान की सहायता, भूमि कल्याण अध्ययन केंद्र- यूएन शांति स्थापना केंद्र और विदेश सेवा संस्थान संबंधी व्यय के लिए भी व्यय की व्यवस्था है।

36. **सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण:** यह एक्जिम बैंक को अन्य देशों को ऋण प्रदान करने के लिए है, जो भारत सरकार की गारंटियों को लागू करने के प्रति प्रदान की गई तिथियों के लिए है, जिन्हें संदिग्ध माना जाता है। इसे गारंटी मोचन निधि से पूरा किया जाता है।